



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50-2025]

चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025
(25 मार्गशीर्ष, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 84/के०अ० 46/2023/धा० 2/2025, — दिनांक 12 दिसम्बर, 2025— अनुसूची के खाना 2 के नीचे वर्णित स्थानीय क्षेत्र को उसके खाना 3 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में से उसे निकालते हुए तथा अनुसूची के खाना 4 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में उसे शामिल करने बारे।	3129—3130
	2. अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 16/संवि०/अनु० 309/2025, दिनांक 12 दिसम्बर, 2025— हरियाणा शिक्षा महाविद्यालय संवर्ग (वर्ग ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2025।	3131—3134
भाग IV	शुद्धि पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग-III**हरियाणा सरकार**

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025

संख्या का०आ० 84/के०अ० 46/2023/धा० 2/2025.— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 2 के खण्ड (प) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 के नीचे वर्णित स्थानीय क्षेत्र को उसके खाना 3 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में से उसे निकालते हुए तथा उक्त अनुसूची के खाना 4 के नीचे वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए, अन्तरण को भी विनिर्दिष्ट करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रम संख्या	अन्तरित किए जाने वाले गांव/स्थानीय क्षेत्र			पुलिस थाना, जिसमें से स्थानीय क्षेत्र निकाला जाना है।	पुलिस थाना, जिसमें स्थानीय क्षेत्र शामिल किया जाना है।
1	2			3	4
	(i) स्थानीय क्षेत्र/गांव	(ii) तहसील	(iii) जिला		
1	मेहन्दा	हांसी	पुलिस जिला, हांसी (जिला हिसार)	पुलिस थाना, बास	पुलिस थाना सदर, हांसी

डॉ० सुमिता मिश्रा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग।

HARYANA GOVERNMENT**HOME DEPARTMENT****Notification**

The 12th December, 2025

No. S.O. 84/C.A. 46/2023/S. 2/2025.— In exercise of the powers conferred under clause (u) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023), the Governor of Haryana hereby specifies the transfer of the local area enumerated under column 2 of the Schedule given below by excluding the same from the local area of Police Station mentioned under column 3 thereof and including the same in the local area of Police Station mentioned under column 4 of the said Schedule, namely :-

Schedule

Serial Number	Name of the villages/local areas to be transferred			Police Station from which local area is to be excluded	Police Station in which local area is to be included
1	2			3	4
	(i) Village/Area	(ii) Tehsil	(iii) District		
1.	Mehnda	Hansi	Police District, Hansi (District Hisar)	Police Station Bass	Police Station Sadar, Hansi

DR. SUMITA MISRA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Home Department.